न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 149/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 18/12/2025
निर्णय दिनांक –18/12/2025

अनवान

1. प्रकाश पिता पन्ना हिस्सा जाति कलाल निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ़ व अन्य

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 182 में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थीगण का नाम प्रकाश पिता पन्ना, प्रभू पिता पन्ना एवं लादु पुत्र पन्ना जाति रावत दर्ज है जिसके स्थान पर प्रकाश पिता पन्ना, प्रभू पिता पन्ना एवं लादु पुत्र पन्ना जाति कलाल शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 182 में प्रकाश पिता पन्ना, प्रभू पिता पन्ना एवं लादु पुत्र पन्ना जाति रावत दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का लसानी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 182 प्रकाश पिता पन्ना, प्रभू पिता पन्ना एवं लादु पुत्र पन्ना जाति रावत के बजाय प्रकाश पिता पन्ना, प्रभू पिता पन्ना एवं लादु पुत्र पन्ना जाति कलाल दर्ज जाने की अनुशंषा की गई। इसी क्रम में प्रकाश पिता पना, लादु पुत्र पन्ना के बयान लेखबद्ध किये गयें। राजस्व रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। ग्राम कलालों की आंती जमाबन्दी संवत् 2058–2061 में खसरा संख्या 737/605/1, 752/605/1 में प्रभू, प्रकाश, लादु पिता पन्ना कलाल अंकित है। इसी क्रम में जमाबन्दी 2070–73 में ग्राम कलालों की आंती में खसरा संख्या 1010/605, 1011/605 अंकित है जिसमें जाति अंकित नहीं है। जिसके नवीन खसरा संख्या 203 बना होना अवगत हुआ है। अतः उक्त अभिलेख के अवलोकन अनुसार इनकी जाति कलाल होने की पुष्टि होती है।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 182 में प्रकाश पिता पन्ना, प्रभू पिता पन्ना एवं लादु पुत्र पन्ना जाति रावत के स्थान पर प्रकाश पिता पन्ना, प्रभू पिता पन्ना एवं लादु पुत्र पन्ना जाति कलाल दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मो[illegible], R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द